**Need to regulate the sale of medicines both through offline and online mode-Laid**

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर **(खीरी) :** मैं अति महत्वपूर्ण विषय शेड्यूल (के) को समाप्त कराने, होलसेल लाइसेंस में फार्मासिस्टों की अनिवार्यता और ऑनलाइन दवा बिक्री बंद किए जाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिये जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ । फार्मेसी एक्ट 1948 के अनुसार दवा का वितरण केवल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा किया जा सकता है । 30 वर्ष पूर्व देश में फार्मासिस्टों की कमी के कारण शेड्यूल (के) बनाया गया जिससे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ चुनिंदा दवाइयों का वितरण किया जा सके । लेकिन उसकी आड़ में आज ए.एन.एम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि तमाम अन्य अप्रशिक्षित लोगों द्वारा दवा का वितरण सरकार द्वारा कराया जा रहा है । जबकि वर्तमान में पूरे देश में लगभग 18 लाख रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और लगभग 8 लाख बेरोजगार हैं । रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों से दवा का वितरण कराए जाने से दवाओं के साइड इफेक्ट दुरुपयोग को रोका जा सकता है । 8 लाख फार्मासिस्टों को रोजगार सहित स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए शेड्यूल (के) को समाप्त किया जाना न्यायोचित है । वर्तमान में बहुत सी कंपनियों द्वारा दवाओं को ऑनलाइन बेचा जा रहा है, जिससे नकली दवाइयों की मार्केट में खपत, दवाओं के भंडारण से जानमाल का नुकसान होता है । अतः मै सरकार और स्वास्थ्य मंत्री जी से जनहित में शेड्यूल (के) को समाप्त कराने, होलसेल लाइसेंस में फार्मासिस्टों की अनिवार्यता लागू करने और ऑनलाइन दवा की बिक्री बंद करने का निवेदन करता हूँ ।